मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक–3(ए) 19/2003/21–ब(एक) 2624 भोपाल, दिनांक 30.05.2018

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म0प्र0)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

******

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–।। (बी) दिनांक 28.03.2018 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छटवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.01.2018 से 139 से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम 9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम–11 (3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम –11 (3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2018 से पेंशन पर राहत 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–।। (बी) दिनांक 28.03.2018 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय मंहगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2018 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सही/–
(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक–3(ए) 19/2003/21–ब(एक)/2624 भोपाल, दिनांक 30.05.2018

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर

XXX XXX

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/–
(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक...../ पेंशन, जबलपुर, दिनांक 21/06/2018
चार–12–14/10

प्रतिलिपि:–

1. **जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....**
2. **प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय .....**
3. **प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर**
4. **रजिस्ट्रार, आईटी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ए.के. महोबिया) 21/06/2018
ओ0एस0डी0 लेखा

No. 1/3/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
...

New Delhi, dated the 28th March, 2018.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2018 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission

---

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 26th September, 2017 regarding revision of the rate of Dearness Allowance w.e.f 01.07.2017 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 139% to 142% w.e.f. 01.01.2018.

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).